सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/75/2024 ऑनलाईन नम्बर 2024/389 प्रवेश तिथि:—21.06.2024

1. श्रवण नाथ पुत्र श्री भगवाननाथ जाति जोगी आयु......निवासी जोगीवाला भानगढ तहसील टहला जिला अलवर। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय अलवर राजस्थान।
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर ......अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री धमेन्द्र शर्मा डेरा—एड0 प्रार्थी
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर—अप्रार्थी

—:निर्णय:— दिनांक 18.12.2024

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 742 खसरा नम्बर 1098/0.98 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी 1/2 हिस्से की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रवण नाथ की जगह सहवन से सांवलनाथ दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम अन्य रिकार्ड में श्रवण नाथ दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम श्रवण नाथ दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/3804 दिनांक 05.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी श्रवण नाथ पुत्र भगवान नाथ व सांवलनाथ पुत्र भगवान नाथ एक ही व्यक्ति है। जिसे प्रार्थी का नाम सांवलनाथ पुत्र भगवाननाथ के स्थान पर श्रवण नाथ पुत्र भगवान नाथ दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान—ए—बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 742 खसरा नम्बर 1098/0.98 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रवण नाथ की जगह सहवन से

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

सांवलनाथ दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में श्रवण नाथ पुत्र भगवाननाथ जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड 8622 9243 1032, नकल नामान्तकरण वाके ग्राम बिरकडी, तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 05.11.2024, शपथ पत्र श्रवणनाथ दिनांक 28.10.2024, नकल पर्चा लगान, मौका पर्चा दिनांक 28.10.2024, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोला का बास दिनांक 28.10.2024, राशन कार्ड संख्या 007333600766, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग जी.डी. के/0930701, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 हाल आराजी खाता संख्या 742 खसरा नम्बर 1098/0.98 हैं0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सांवलनाथ दर्ज है उसके स्थान पर श्रवण नाथ पुत्र भगवाननाथ दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते